सूचना प्रौधोगिकी एंव संचार विभाग, जयपुर द्वारा ई–मित्र पेमेंट गेटवे में अपडेशन किये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर में ऑनलाईन पेश होने वाली अपीलों के ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पा रहे है। इसलिए अधिकरण में पेश होने वाली अपीलों के ऑनलाईन भुगतान हेतु ई–ग्रास से पेमेंट किये जा सकते है। ई–ग्रास से पेमेंट करने हेतु निम्नलिखित निर्देशों का पालन करे।

(1) egras.raj.nic.in पर लॉगिन करे।

(2) अगर ई–ग्रास पर आपने अपनी लॉगिन आईडी नहीं बनाई है तो सर्वप्रथम अपनी लॉगिन आईडी बनायें।

(3) लागिन करने के बाद अपना प्रोफाईल चुनें।

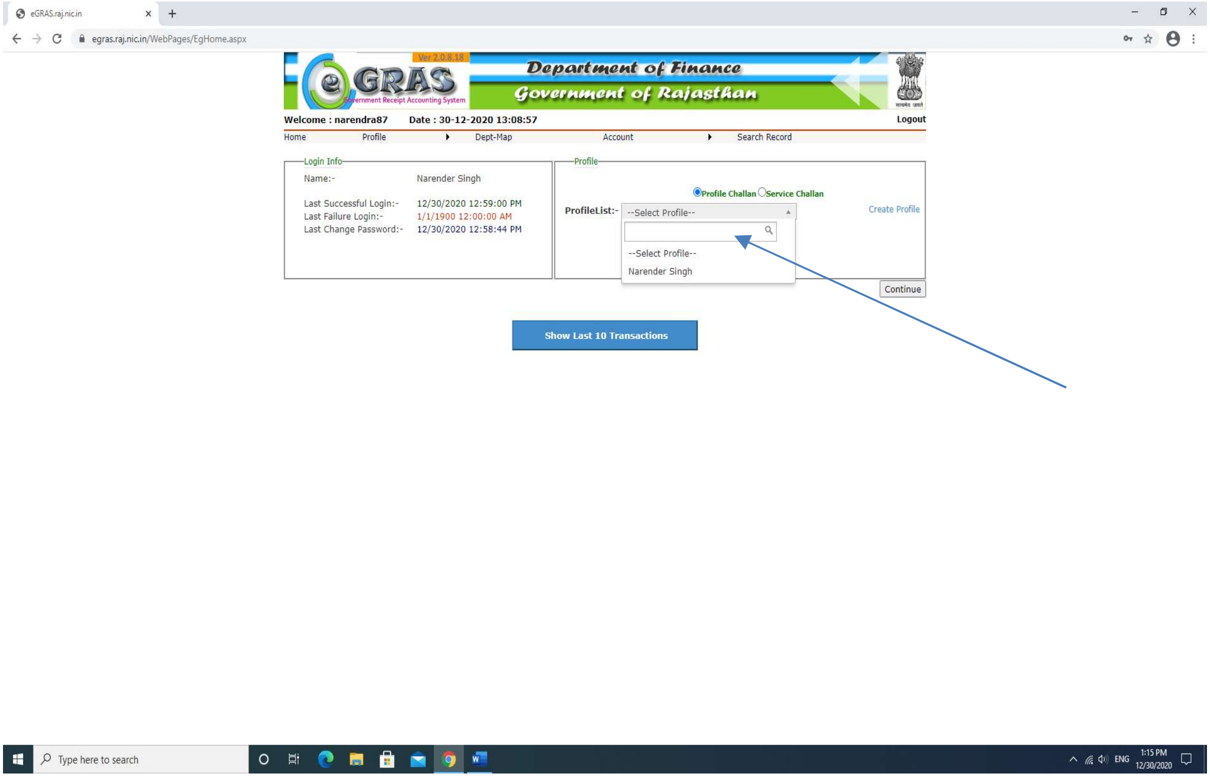

(4) Create profile पर क्लिक करें।

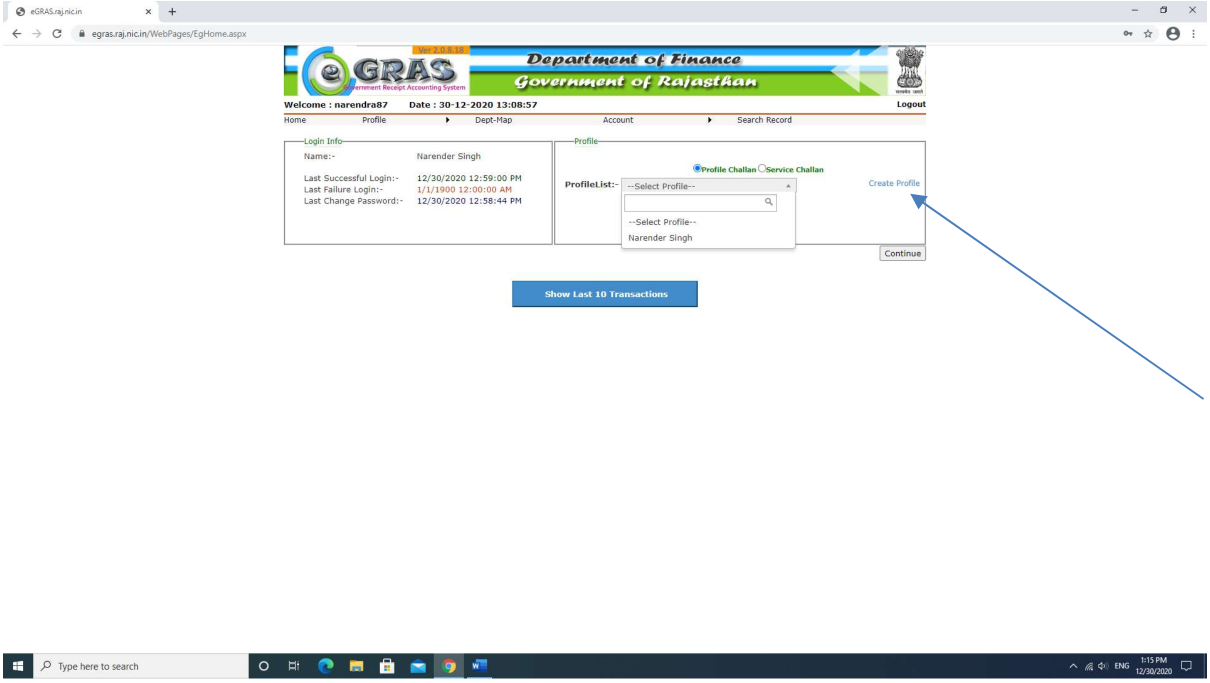

(5) डिपार्टमेंट में Food Safety Appellate Tribunal का नाम चुनें।

(6) Major Head में 0210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य चुनें।

(7) Major Head सेलेक्ट करने के पश्चात 0210–04–800–05–00 बजट हेड सेलेक्ट करें तथा Right Arrow सेलेक्ट कर हेड को दायीं तरफ Shift करें।

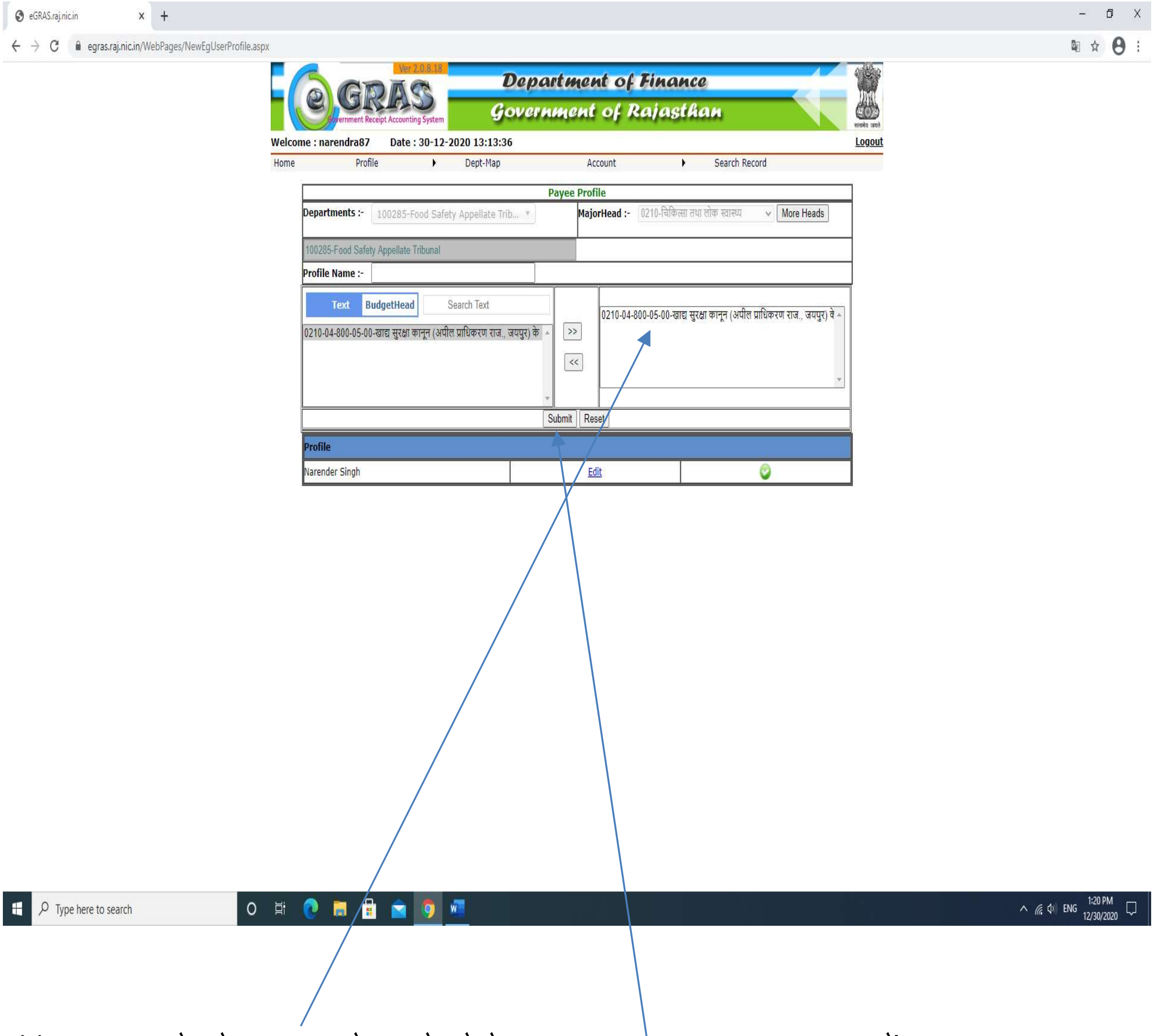

(8) Shift करने के पश्चात हेड को सेलेक्ट कर Submit का बटन दबायें।

(9) Submit का बटन दबाने पर निम्न पेज खुलेगा जिसमें आवेदनकर्ता को डिटेल्स भरनी होती है।

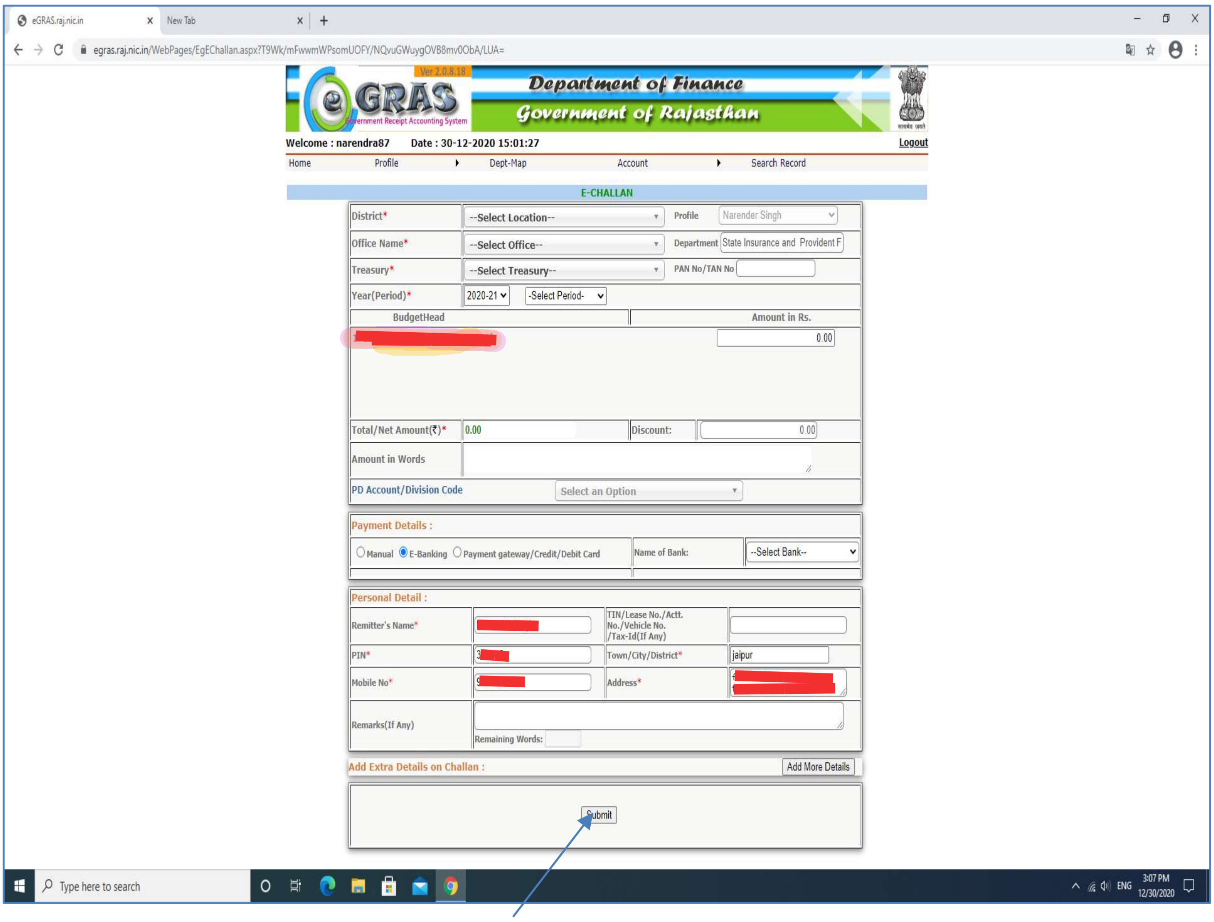

(10) सम्पूर्ण डिटेल्स भरे जाने के पश्चात Submit का बटन दबायें और ऑनलाईन पेमेंट का भुगतान कर रसीद अपील के साथ अटैच कर कार्यालय में प्रस्तुत करें।

(11) कार्यालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर आवेदनकर्ता को ऑनलाईन फार्म जेनेरेट कर दिया जावेगा जिसमें अपील संख्या एवं केस सम्बम्धी डिटेल्स रहेगी।

(12) पेमेंट गेटवे के अपडेशन का कार्य पूर्ण होते ही अधिकरण द्वारा अवगत करा दिया जावेगा।

(13) अन्य किसी सहायता के लिए कार्यालय मे सम्पर्क किया जा सकता है।

(14) कृप्या सही बजट हेड का चुनाव करें। ऑनलाईन भुगतान हेतु बजट हेड संख्या 0210–04–800–05–00 है। गलत बजट हेड में ऑनलाईन पेमेंट किये जाने पर अधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा और ना ही पेमेंट वापिस किये जाने हेतु बाध्य होगा।

इस संबंध में अगर कोई परेशानी हो तो कार्यालय में सम्पर्क कर वहां से पेमेंट किया जा सकता है। इस हेतु कार्यालय में पदस्थापित सूचना सहायक श्री नरेन्द्र सिंह से सम्पर्क किया जा सकता है।